जनपद हरिद्वार द्वारा माह सितम्बर 2017 में किये गये सराहनीय कार्य

1-

Police Station Name	
Image	
Date Of good work	2017-09-03
Brief	जनपद हरिद्वार में लगातार मानव तस्करी की हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए जनपद की एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम प्रभारी साधना त्यागी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपराध पर अंकुश लगाने हेतु त्वरित प्रभावी कारवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम व एस0ओ0जी0 रुड़की की सयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में मानव तस्करी से जुड़े अपराधिक व्यक्तियो की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किये गए, जिसके फलस्वरूप दिनांक 03.09.2017 को ए0एच0टी0यू0 प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टिहरी विस्थापित कालोनी के एक मकान मे मानव तस्करी से जुड़े व्यक्तियो का समूह निवास कर रहा है जिस पर ए0एच0टी0यू0 टीम व एस0ओ0जी0 रुड़की टीम द्वारा छापेमारी कर मौके से मानव तस्करी में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मानव तस्करी कर लायी गयी 02 महिला व 02 अवयस्क बच्चों को बरामद किया गया। दौराने पूछताछ अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह लोग अलग अलग स्थानों से घरेलू मानसिक प्रताड़ित महिलाओं व बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ लाकर महिलाओं व बच्चों को अलग अलग दूर स्थानों पर बेच देते हैं। अभियुक्तों द्वारा बेची गई महिलाओं व बच्चों के सम्बंध में जानकारी देकर उन्हे बरामद करवाने की बात कही गई हैं। जिन्हे शीघ्र बरामद करने हेतु टीमों का गठन कर रवाना किया जा रहा है।

2-

Police Station Name	NA
Image	NA
Date Of good work	14.09.2017
Brief	दिनांक 14.09.2017 को उ0नि0 रमेश सैनी मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा अलकनन्दा घाट पर बने पुल के पास से अभियुक्त फिकरवती पत्नी प्यारेलाल निवासी मौ0 खेडा, नई बस्ती, थाना अंवला, जिला बस्ती उ0प्र0 को 450 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध प्रभावी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

3-

Police Station Name	कोतवाली लक्सर हरिद्वार
Image	
Date Of good work	06/07.09.2017
Brief	दिनांक 06/07.09.2017 को रात्रि लगभग 11.30 बजे कुआखेड़ा जाने वाले लिंक रास्ते में एक हुण्डई कार पीबी-014583 को जिसे हरि सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी 212 शिवनगर मोहाली पंजाब (जीपीएस) द्वारा मुरादाबाद का शार्ट रास्ता दिखाये जाने के कारण लिंक रोड़ पर चला गया था। दो बदमाशों द्वारा पोपलर के पेड़ को काटकर रास्ता रोककर कार से 4000 रूपये व कुछ 100-100 रूपये के नोट, पर्स, एटीएम, आधार कार्ड, 02 छोटे मोबाईल फोन कार का शीशा तोड़कर लूट लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना लक्सर पर मु0अ0सं0 375/17 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त घटना के शीघ्र सफल अनावरण मेरे आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार, क्षेत्राधिकारी लक्सर के निर्देशन में एक टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु लगायी गयी। टीम द्वारा कल 15.09.17 की रात्रि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आजाद उर्फ लाला पुत्र महिपाल निवासी कुआखेड़ा कोतवाली लक्सर हरिद्वार को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, तो उसने उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए बताया कि यह घटना हमने बन्दे पर ट्यूबवेल के पास की थी। जिसमें मैने आरी से एक छोटा पोपलर का पेड़ काटकर रास्ते पर गिराया था। जिससे गाड़ी रूक गयी थी तथा गाड़ी मालिक गाड़ी को तेजी से पीछे ले जा रहा था। जिसमें मेरे साथ अंकुर पुत्र मुकेश निवासी मौहल्ला शिवपुरी गली नं0 03 लक्सर हरिद्वार शामिल था। अंकुर उपरोक्त ने टार्च दिखाकर कार को रोकने व मेरे द्वारा तमंचे के बल पर कार में बैठे लोगों को आतंकित कर शीशा तोड़कर कार से 4-5 हजार रूपये तथा 02 छोटे मोबाईल लूटे थे। पर्स में कुछ कार्डस भी थे, पर्स से मैने रूपये निकालकर पर्स को घटनास्थल के आस-पास ही भागते समय ईख के खेत में फेंक दिया था और मोबाईल अंकुर ने लिये थे। अंकुर उपरोक्त से मोबाईल के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा यह फोन रेलवे स्टेशन लक्सर पर यात्रियों को बेच दिये थे। दोनों ने घटना में शामिल होना बताया।

4-

Police Station Name	थाना कलियर जिला हरिद्वार
Image	
Date Of good work	05.09.17
Brief	दिनांक 05.09.17 को वादी सलामत अली पुत्र चुन्नू निवासी सोहलपुर सिकरौढ़ा थाना कलियर जिला हरिद्वार द्वारा थाना कलियर पर सूचना दी कि उसके पिता चुन्नू पुत्र संजीव रोजाना की भांति दूध निकलवाने के लिये ग्राम रांघडवाला जा रहे थे। ग्राम रांघडवाला व हददीपुर के जंगल में मुख्य सड़क पर टयूबवैल के पास ट्रांसफार्मर से तार बांधकर व उसमें करंट छोड़कर मेरे पिता जी हत्या कर दी जिस पर थाना कलियर पर मु0अ0सं0 169/17 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। अपराध की गंभीरता देखते हुए व अभियोग के सफल अनावरण हेतु मेरे आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी रूड़की के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की तलाश हेतु मुखबिर व सर्विलांस आदि के माध्यम से प्रयास किये गये। दिनांक 11.09.17 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम सोहलपुर के ही कुछ व्यक्तियों के साथ मृतक की पुरानी रंजिश चल रही थी तथा उन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही है जिसके क्रम में संदिग्ध सावेज पुत्र असगर निवासी सोहलपुर के मोबाईल नम्बर की लोकेशन घटना के समय पर घटनास्थल पर पायी गयी। पूछताछ करने पर सावेज उपरोक्त द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया गया कि उक्त घटना में मेरे साथ अमजद पुत्र इलियास व आसिर पुत्र हैदर निवासीगण ग्राम सोहलपुर थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार शामिल थे। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व हमारे परिवार के लोगों की गाॅव में कहासुनी हो गयी थी। जिसमें मृतक ने हमारा पक्ष न लेकर हमें जेल भिजवाने की बात कही थी। हम लोगों का मृतक के पडोस की लड़कियों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब कभी हम मृतक के पडोस में जाते थे तो मृतक हमें डॉटता था व उन लड़कियों के परिवार वालों से भी हमारी शिकायत करता था जिस कारण हम उससे रंजिश रखने लगे थे। हमने उसे मौका पाकर जान से मारने की ठान ली हमें पता था कि वह रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच दूध निकलवाने के लिये ग्राम रांघडवाला जाता है। हम में से अमजद पुत्र इलियास बिजली का काम जानता है। तो हमने योजना बनायी कि इसे बिजली के करंट से मारते है। दिनांक 03.09.17 को भी हमने इसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन बिजली न होने के कारण हम कामयाब नही हो पाये इसके बाद दिनांक 05.09.17 को हमने रांघडवाला व हद्दीपुर के जंगल में उसके रास्ते में पेडों में तार बांधकर पास के ट्रांसफॉर्मर से जोड़ दिया व उसे जाता देख कर उसमें उसी समय करंट छोड़ दिया। जिससे टकराकर चुन्नू मौके पर ही बिजली के करंट से मर गया। जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गये। अभियुक्त अमजद की निशादेही पर अभियुक्त की दुकान से हत्या में प्रयुक्त तार का बचा हुआ तार बरामद किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से हत्या के समय इस्तेमाल किये गये मोबाइल फोन बरामद किये गये।

5-

Police Station Name	
Image	21.09.17
Date Of good work	
Brief	दिनांक 21.09.17 को मेरे निर्देशानुसार थाना पिरान कलियर पुलिस व टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्तियों व बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही की जा रही थी। चैकिंग/सत्यापन करते हुए जब पुलिस टीम पीपल चौक कलियर पर पहुँची तो यात्री शैड में खडा एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ तथा पुलिस टीम को देखकर हडबड़ाने लगा संदेह होने पर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम सारिक पुत्र फुरकान निवासी गली न0 02 महमूदपुर मुजफ्फरनगर उ0प्र0 बताया तथा इसकी जामा तलाशी में 2000,500,100,50 रूपये के कुल 88 नोट जो जाली (नकली) नोट है बरामद हुए। जिनमें 2000 के 02 नोट, 500 के 10 नोट, 200 के 06 नोट, 100 के 32 नोट, 50 के 34 नोट है। पूछताछ करने पर इसने बताया कि यह ये नोट कलियर में चलाने के लिए आया था। जिसे मय नकली नोटों के गिरफ्तार किया गया। जिसकी उच्चाधिकारी गणों व जनता द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

6-

Police Station Name	NA
Image	
Date Of good work	18.09.2017
Brief	दिनांक 18.09.2017 को उ0नि0 जयपाल सिंह मय चेतक मोबाइल पर नियुक्त कर्मचारीगण कान्स सन्नी सिंह व कान्स भूपाल सिंह, हे0का0टी0पी0 बलवन्त रावत,कान्स टी0पी0 परवेज खत्री सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एंव वाहन चैकिंग कर रहे थे चैकिंग के दौरान समय करीब 1330 बजे रूड़की की तरफ से ग्रे रंग की कार नम्बर यू0पी0-16यू0-7734 तेजी से आते हुए रोकने का इशारा करने पर

	कार चालक ने कार लेकर भागने का प्रयास किया तो कार चालक द्वारा तेजी से कार रोककर कार बैठे चार लोग उतर कर हाथों मे तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिसमें पुलिस पार्टी बाल.बाल बच गयी चारों लोगों का पीछा करने पर साहस दिखाते हुए तो पुनः तमन्चों में कारतूस भरने का मौका दिये बिना दो लोगों को मौके पर मय अस्लाह पकड लिया जिनके नाम 1-कपिल शर्मा पुत्र मदन सेन शर्मा निवासी थाना कोतवाली नगर मु0नगर चालक गाडी नम्बर यू0पी0-16यू0-7734 के कब्जे से एक तमंचा एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम नितिन उर्फ आजाद उर्फ के0के0 पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी फफोदा थाना खरखोदा जिला मेरठ बताया जिसके कब्जे से एक पिस्टल 9 एमएम0 जिसकी मेगजीन में 8 कारतूस तथा 6 कारतूस व एक खोख कारतूस बरामद हुआ तथा सोनू राठी का तमंचा भागते समय छूट गया भागने वाले बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया तो सोनू राठी व राहुल राठी भागने में सफल रहे। पूछताछ में अभियुक्त नितिन द्वारा बताया कि सोनू व राहुल राठी (भागे हुए) ने बताया था कि हरिद्वार में एक आदमी को मारने की सुपारी मिली है जिसमें चार लाख रूपये मेरे होने थे क्योंकि मेरे पास पास पिस्टल थी उसको चार लाख रूपये मुझे मिलने थे दोनो ने यह भी बताया था कि हरिद्वार पहुंचने पर बतायेगे कि किस आदमी को किस जगह पर मारना है यदि हम उसे मारने में फेल हो जाते तो हमारे पास नशे का इंजेक्शन भी तैयार था हम उस आदमी को इजेक्शन लगाकर बेहोश करके ले जाते।